राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./91 **दिनांकः– 02.09.26**

परिपत्र

राज्य आयोग के संज्ञान में आया है कि समस्त जिला आयोगो में कार्यरत डीएमए की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट/एमपीआर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीं है। इस संबंध में राज्य आयोग कार्यालय द्वारा समय समय पर उपस्थिति रिपोर्ट/एमपीआर समयबद्व रूप से भिजवाने बाबत निर्देशित किया हुआ है इसके बावजूद अध्यक्ष, जिला आयोग, दौसा (राज.) द्वारा जिला आयोग में कार्यरत डीएमए की **माह जुलाई 2026 की उपस्थिति रिपोर्ट दिनांक 31.08.2026 को प्रेषित की गई है**, अकारण विलम्ब से उपस्थिति भिजवाने के तथ्य को राज्य आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। इससे समस्त जिला आयोगों की संकलित सूचना समयबद्व रूप से प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है।

इस संबंध में समस्त जिला आयोगो के अध्यक्षगण को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यरत डीएमए की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट/एमपीआर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक समय 2:00 पीएम तक आवश्यक रूप से राज्य आयोग कार्यालय को प्रेषित की जावें तथा उक्त नियत दिनांक को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को प्रेषित करें। यदि उक्त समयावधि में सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो यह समझा जावेगा कि कार्यरत डीएमए पूरे माह उपस्थित रहा है तथा उक्त सूचना सक्षम स्तर को भिजवा दी जावेगी।

यदि उक्त अवधि में कोई डीएमए अवकाश पर रहा है और आपके द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करने के अभाव में उसको अधिक वेतन का भुगतान होने की स्थिति में उक्त संपूर्ण आधिक्य राशि की वसूली आपके वेतन से की जायेगी एवं कठोर कार्यवाही बाबत भारत सरकार/राज्य सरकार को भी पृथक से अवगत कराया जावेगा।

अतः समग्र प्रशासनिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समयबद्व रूप से सूचना प्रेषित की जावें तथा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :–एफ 19/साप्र./रा.आ./92-98 दिनांकः– 02.09.26

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी राज्य आयोग बैंच, जोधपुर एवं सर्किट बैंच– अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर तथा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समस्त) राजस्थान को पालनार्थ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

02-09-2026

(रजिस्ट्रार)